



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275754
CG-DL-E-25082026-275754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4492]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4492]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4675(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (एनई) 5	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रानी खेड़ा गांव के निकट एनएच-344एम के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बारटा, जसौर खेरी गांव के निकट केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) और पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पटरान, भवानीगढ़, धूरी,	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5

मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लांपुर ढाका, नूरमहल, कांगसाहबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाईपास, बलसुआ और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राजबाग, चडवाल, घगवाल, जटवाल, सुपवाल, डोमेल को जोड़ते हुए और कटरा के निकट एनएच सं. 144 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे।	
---	--

[फा. सं. एनएच-14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4675(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NE 5	<i>The Expressway starting from its junction with NH-344M near Rani Khera village in the NCT of Delhi connecting KMP (Kundli- Manesar- Palwal) expressway near Jasaur Kheri village, Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur, Gurdaspur Bypass, Balsua in the State of Punjab, Rajbagh, Chadwal, Ghagwal, Jatwal, Supwal, Domel and terminating at its junction with NH No. 144 near Katra in the Union Territory of Jammu and Kashmir.</i>	Entire NE5 falling in the NCT of Delhi, in the states of Haryana, Punjab and UT of Jammu & Kashmir

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4676(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ), दिनांकित 08 मार्च, 2022 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

एनई 5	हरियाणा राज्य में जसौर खेड़ी गांव के पास केएमपी (कुंडली-मानेसर- पलवल) एक्सप्रेसवे के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बरता और पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पतरां, भवानीगढ़, धूरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लापुर ढाका, नूरमहल, कंगसाहबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाईपास, बलसुआ तथा संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में राजबाग, चढवाल,घगवाल, जाटवाल,सूपवाल, डोमेल को जोड़ते हुए कटरा के पास एनएच सं.144 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)।	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में और गुरदासपुर बाईपास से पंजाब/जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र की सीमा तक (6 किमी)
-------	---	--

[फा. सं. एनएच-14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1030(अ), दिनांकित 08 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4676(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1030(E), dated the 8th March, 2022, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

NE 5	The Expressway (under construction) starting from its junction with KMP (Kundli-Manesar- Palwal) expressway near Jasaur Kheri village connecting Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur, Gurdaspur Bypass, Balsua in the State of Punjab, Rajbagh, Chadwal, Ghagwal, Jatwal, Supwal, Domel and terminating at its junction with NH No. 144 near Katra in the Union Territory of Jammu and Kashmir.	Entire NH in the state of UT of Jammu and Kashmir and from Gurdaspur bypass to Punjab/UT of J&K border (6 km)
------	--	--

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1030(E), dated the 8th March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4677(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 515(अ), दिनांकित 03 फरवरी, 2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

एनई 5	हरियाणा राज्य में जसौर खेड़ी गांव के पास केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बारटा और पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पतरां, भवानीगढ़, धूरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लापुर ढाका, नूरमहल, कंगसाहबू, कर्तारपुर को जोड़ते हुए गुरदासपुर बाईपास पर एनएच सं. 54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)।	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा और पंजाब राज्य में
-------	--	---

[फा. सं. एनएच-14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 515(अ), दिनांकित 03 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4677(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 515(E), dated the 3rd February, 2021, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

NE 5	The Expressway (under construction) starting from its junction with KMP(Kundli-Manesar- Palwal) expressway near Jasaur Kheri village connecting Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur and terminating at its junction with NH No. 54 on Gurdaspur Bypass in the State of Punjab.	Entire NH in states of Haryana and Punjab
------	---	---

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 515(E), dated the 3rd February, 2021.